



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230738
CG-DL-E-26102021-230738

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943

No. 514]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

फा. सं. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(1).—जबकि मेसर्स राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आर.एस.डी.सी.एल.), जिसका पंजीकृत कार्यालय ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 है, ने पारेषण योजना “गांव नोख, जैसलमेर, राजस्थान में 925 मेगावाट सौर पार्क के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part-1 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा पारेषण योजना “मेसर्स राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत गांव नोख, जैसलमेर, राजस्थान में 925 मेगावाट सौर पार्क के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए मेसर्स राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स आर.एस.डी.सी.एल. ने 03.02.2021 (दी टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 20.02.2021 से 26.02.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स आर.एस.डी.सी.एल. ने 10.05.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मेसर्स राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत गांव नोख, जैसलमेर, राजस्थान में 925 मेगावाट सौर पार्क के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. नोख सोलर पार्क (आरएसडीसीएल) पूलिंग स्टेशन (पीएस)-1- भादला-II पूलिंग स्टेशन 220 के.वी. डी/सी लाइन
2. नोख सोलर पार्क (आरएसडीसीएल) पीएस-4 - भादला-II पूलिंग स्टेशन 220 के.वी. डी/सी लाइन
3. नोख सोलर पार्क (आरएसडीसीएल) पीएस-1 - नोख सोलर पार्क (आरएसडीसीएल) पीएस-2 220 के.वी. डी/सी लाइन
4. नोख सोलर पार्क (आरएसडीसीएल) पीएस-3 - नोख सोलर पार्क (आरएसडीसीएल) पीएस-4 220 के.वी. डी/सी लाइन
5. नोख सोलर पार्क (आरएसडीसीएल) पीएस -2 - नोख सोलर पार्क (आरएसडीसीएल) पीएस-3 220 के.वी. एस/सी लाइन

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: राजस्थान

गाँव का नाम	तहसील	जिला
नोख	पोकरण	जैसलमेर
सांवरा गाँव, मनचितिया, बड़ी सिड्डु, कान सिंह की सिड्डु	बाप	जोधपुर
सेवड़ा, नगरासर, दादु का गाँव	बज्जू	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- (vi) मेसर्स राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

- (vii) मेसर्स राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की रिट याचिका संख्या 838, 2020 के आईए नंबर 85618 का पालन करना होगा।

वी. के. मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./374/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 23rd September, 2021

F. No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(1).—Whereas M/s. Rajasthan Solarpark Development Company Limited (RSDCL), the applicant with its registered office at E-166, Yudhisthir Marg, C-Scheme, Jaipur- 302001, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity system for 925 MW Solar Park at village Nokh, Jaisalmer, Rajasthan”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part (1) dated 19.01.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s. Rajasthan Solarpark Development Company Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme “Connectivity system for 925 MW Solar Park at village Nokh, Jaisalmer, Rajasthan”.

M/s. RSDCL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 03.02.2021 (The Times of India and Danik Bhaskar) and in Weekly Gazette of India dated 20.02.2021 to 26.02.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s RSDCL has submitted an affidavit dated 10.05.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system for 925 MW Solar Park at village Nokh, Jaisalmer, Rajasthan”. The following overhead lines are covered under this transmission scheme:

1. Nokh Solar Park (RSDCL) Pooling Station (PS)-1- Bhadla-II Pooling Station 220 kV D/c Line
2. Nokh Solar Park (RSDCL) PS-4 - Bhadla-II Pooling Station 220 kV D/c Line
3. Nokh Solar Park (RSDCL) PS-1 - Nokh Solar Park (RSDCL) PS-2 220 kV D/c Line
4. Nokh Solar Park (RSDCL) PS-3 - Nokh Solar Park (RSDCL) PS-4 220 kV D/c Line
5. Nokh Solar Park (RSDCL) PS-2 - Nokh Solar Park (RSDCL) PS-3 220 kV S/c Line

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE :RAJASTHAN

Names of the village	Tehsil	District
Nokh	Pokran	Jaisalmer
Sanwara Gaon, Manchitiya, Badi Sidd, Kan Singh Ki Sidd	Bap	Jodhpur
Sevda, Nagrasar, Dadu ka Gaon	Bajju	Bikaner

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Rajasthan Solarpark Development Company Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s. Rajasthan Solarpark Development Company Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
- (vii) M/s. Rajasthan Solarpark Development Company Limited would have to comply with the Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 in Writ Petition No. 838 of 2019 for laying of overhead transmission lines.

V. K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./374/2021-22]